वेबसाइट/Website: https:// www.igmhyderabad.spmcil.com ई-मेल/e-mail : igm.hyderabad@spmcil.com

भारत सरकार टकसाल/INDIA GOVERNMENT MINT

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन/WHOLLY OWNED BY GOVERNMENT OF INDIA

(AN ISO 9001 : 2015 COMPANY)

आई.डी.ए. फेस-II, चेरलापल्ली,
पोस्ट बैग सं.10, एच.सी.एल.(पो.आ.)
हैदराबाद– 500051
तेलंगाना, भारत
दूरभाष/Tel No.: 040-27268300

I.D.A PHASE - II, CHERLAPALLY
P.B.No. 10, H.C.L. (P.O.)
HYDERABAD – 500051
TELANGANA, INDIA
फैक्स/Fax: 040-27262951

F.No.I-240/Per./Rectt./2023-24/1263 दिनांक: 02.09.2023

विज्ञापन संख्या 01/2023

भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है जो भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन कंपनी है। टकसाल मूल रूप से हैदराबाद के निजाम की सेवा के लिए शाही टकसाल के रूप में 1803 में स्थापित किया गया था। 1950 में इस टकसाल को भारत सरकार ने अपने अधिपत्य में ले लिया। वर्तमान टकसाल का उद्घाटन 28 अगस्त 1997 को चेरलापल्ली में हुआ था।

यह आधुनिक मशीनों से युक्त देश की सबसे आधुनिक मिटिंग इकाई है। राष्ट्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1200 मिलियन सिक्कों के उत्पादन करने की क्षमता वाली यह इकाई है। अंतरराष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है और एशिया की सबसे बड़ी टकसालों में से एक है जिसमें परिशोधन की सुविधा के साथ-साथ सिक्का, पदक और प्राचीन पदकों के ढलाई की सुविधा है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में पर्यवेक्षक(रा.भा.), विभिन्न विभागों में पर्यवेक्षक(तकनीकी), प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II, एंग्रेवर(मेटल वर्क्स) एवं बी-4 स्तर पर सचिवालय सहायक के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

कंपनी में अपना योगदान करने के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों को केवल कंपनी की वेबसाइट https://igmhyderabad.spmcil.com के माध्यम से "Careers" पेज पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आमंत्रित हैं। आवेदक इस विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। ऑनलाइन माध्यम के अलावा आवेदन का कोई अन्य साधन/माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. पद हेतु उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें:

आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना लेना चाहिए कि वे विज्ञापित पदों हेतु पात्रता मानदंडों को पूरी करते हैं। भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद, जिसे 'भा.स.ट., हैदराबाद ' के रूप में

संदर्भित किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क (जहां भी लागू हो) के साथ पद हेतु आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार परीक्षा के लिए स्वीकृत किए जाएंगे तथा केवल अंतिम चरण यानी दस्तावेज सत्यापन चरण में ही अपनी पात्रता का निर्धारण करेंगे।

यदि उस स्तर पर, यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी इस विज्ञापन के अनुसार नहीं है या झूठी/गलत है, या यदि उम्मीदवार इस पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

2. आवेदन का तरीका :

उम्मीदवारों को भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद की वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com/Interface/JobOpenings.aspx?menue=5. के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है।

"ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र" भरने के लिए संक्षिप्त निर्देश परिशिष्ट-I में दिए गए हैं:

3. महत्वपूर्ण तिथियां :

वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन अपलोड करने की तिथि	**02.09.2023**
ऑनलाइन आवेदन लिंक/ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण एवं ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि:	**02.09.2023**
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण एवं ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि:	**01.10.2023**
सभी पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	**अक्तूबर/नवंबर 2023 (संभावित)**

4. **सहायता सुविधाएं**: फॉर्म भरने, शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान या कॉल लेटर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लिंक https://cgrs.ibps.in के माध्यम से सवाल पूछे जा सकते हैं।

5. मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रतिबंधित:

(क) किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ स्थिति में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल डिवाइस या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य उपकरण या संचार करने में सक्षम उपकरण का प्रयोग परीक्षा के दौरान पूर्णतः निषिद्ध है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा तथा आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

(ख) उम्मीदवारों के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि इन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होगी।

(ग) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई मूल्यवान/महंगी वस्तु न लाएं क्योंकि इसे सुरक्षित रखने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद वस्तुओं की किसी भी क्षति का जिम्मेदार नहीं होगा।

6. **शुद्धिपत्र:** कृपया उपरोक्त विज्ञापन, पर जारी शुद्धिपत्र पर ध्यान दें, यह यदि कोई हो, केवल टकसाल की वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com/. पर प्रकाशित किया जाएगा।

<u>विस्तृत विज्ञापन</u>

1. भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद निम्नलिखित पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र.सं. पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या					
		अनारक्षित अर्थात् सामान्य (सा./ अना)	अन्य पिछड़ा वर्ग $	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग @	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1.	पर्यवेक्षक (रा.भा.) ए-1 स्तर पर; (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक)	01	00	00	00	00	01
2.	पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रानिक्स), एस-1 स्तर	01	00	00	00	00	01
3.	पर्यवेक्षक (मैकेनिकल), एस-1 स्तर	01	00	00	00	01	02
4.	पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल), एस-1 स्तर	00	01	00	00	00	01
5.	पर्यवेक्षक (सिविल), एस-1 स्तर	01	00	00	00	00	01
6.	पर्यवेक्षक (मेटलर्जी), एस-1 स्तर	00	01	00	00	00	01
7.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड II, बी-3 स्तर पर	01	00	01	00	00	02
8.	एंग्रेवर (मेटल वर्क्स), बी-4 स्तर पर	00	01	00	00	00	01
9.	सचिवालय सहायक, बी-4 स्तर	01	00	00	00	00	01

इस विज्ञापन में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम: अना.: अनारक्षित; अजा: अनुसूचित जाति; अपिव: अन्य पिछड़ा वर्ग; गै.क्री.ले.: गैर क्रीमी लेयर; ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; भूपूसै: भूतपूर्व सैनिक; पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति;

- भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद वास्तविक आवश्यकता अनुसार किसी भी समय विज्ञापित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।
- **$** क्रीमी लेयर में आने वाले अपिव वर्ग के उम्मीदवार अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी को सामान्य (सा.) के रूप में इंगित करना चाहिए।
- **@** भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार के दिनांक *31.01.2019* कार्यालय ज्ञापन

संख्या *36039/1/2019-Esst.(Res)* द्वारा शासित है।

अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों तथा किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है तथा आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यमों के माध्यम से सत्यापन के अधीन है" । भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से एक वर्ष से पहले न जारी किया गया हो।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों हेतु नोट:

(1) भा.स.ट., हैदराबाद ने निम्नलिखित पद (दों) को शारीरिक आवश्यकताओं और कार्यात्मक वर्गीकरण के साथ-साथ पीडब्ल्यूबीडी की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में चिह्नित किया है। इसलिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार निम्नलिखित श्रेणियों के पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क्र.सं./ पद कोड	पद का नाम	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियां	कार्यात्मक आवश्यकताएं	दृश्य तीक्ष्णता
1	पर्यवेक्षक (रा.भा.) ए-1 स्तर पर (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक)	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई घ) एएसडी(एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी, उपरोक्त (क) से (घ) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	-
2.	पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रानिक्स), एस-1 स्तर	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी, उपरोक्त (क) से (घ) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	-

3.	पर्यवेक्षक (मैकेनिकल), एस-1 स्तर	क) एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एएसडी(एम), एसएलडी, एमआई ङ) एमडी, उपरोक्त (क) से (घ) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, केसी, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	डिस्टेंस विज़न: चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 6/9, 6/12 (लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं) । नियर विज़न: एसएन: पढ़ने या सूक्ष्म कार्य के समय चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 0.6, 0.6 की आवश्यकता है।
4.	पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल), एस-1 स्तर	क) डी, एचएच ख) ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ग) एसएलडी, एमआई घ) एमडी, उपरोक्त (क) से (ग) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, केसी, पीपी, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, सी	-
5.	पर्यवेक्षक (सिविल), एस-1 स्तर	क) एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एसएलडी, एमआई ङ) एमडी, उपरोक्त (क) से (घ) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	-
6.	पर्यवेक्षक (मेटलर्जी), एस-1 स्तर	क) डी, एचएच ख) ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ग) एसएसडी(एम), एसएलडी, एमआई घ) एमडी, उपरोक्त (क) से (ग) मिलाकर	एस, एसटी, बीएन, एल, एमएफ, एसई	-

7.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II, बी-3 स्तर पर	क) डी, एचएच ख) ओए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी ग)एएसडी(एम),एसएलडी, एमआई घ) एमडी, उपरोक्त (क) से (ग) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन,एमएफ, एसई, एच, सी	-
8.	एंग्रेवर(मेटल वर्क्स) बी-4 स्तर पर	क) डी, एचएच ख) ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी ग)एएसडी(एम), एसएलडी, एमआई घ) एमडी, उपरोक्त (क) से (ग) मिलाकर	एस, बीएन, एमएफ, एसई	डिस्टेंस विज़न: चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 6/9, 6/12 (लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं) । नियर विज़न: एसएन: पढ़ने या सूक्ष्म कार्य के समय चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 0.6, 0.6 की आवश्यकता है।
9.	सचिवालय सहायक, बी-4 स्तर	क) बी, एलवी ख) डी, एचएच ग) ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी घ) एएसडी, एसएलडी, एमआई ङ) एमडी, उपरोक्त (क) से (घ) मिलाकर	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	-

<u>संक्षिप्त रूप:</u>

कार्यात्मक आवश्यकताओं से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ: एस-बैठना, एस.टी.- खड़ा होना, डब्ल्यू-चलना, बी. एन.-झुकना, एल-चढ़ाना, के.सी-झुकना व दबकना, जेयू-कूदना, सी. आर. एल.-रेंगना, सी.एल.-आरोहण, पीपी-खींचना व धकेलना, एम.एफ-उंगलियों से परिचालन, आर डब्ल्यू-पढ़ना व लिखना, एस.ई.-देखना, एच-सुनना, सी-सम्प्रेषण

वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ: बी-नेत्रहीन, एल.वी.-कम दृष्टि, डी-बहरा. एच. एच.-ऊँचा सुनने वाला. ओ.ए. एक भुजा, ओ.एल-एक टांग, बी.ए.- दोनों भुजाएं, बी. एल.-दोनों टांगे. ओ. ए.-एल-एक भुजा और एक टांग, बी. एलओए-दोनों टांगे और एक भुजा, बी.एल.ए.-दोनों टांगे व भुजाएं, सी. पी. प्रमस्तिष्क्रिय पक्षाघात, एल.सी. कुष्ठ उपचारित, डी.डब्ल्यू-बौनापन, ए.ए.वी-एसिड हमला पीड़ित, एम.डी. वाई-पेशीषदुष्पोषण, ए. एसडी-ऑटिम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (एम-अत्यल्प. एम.ओ.डी. अल्प), आई.डी-बौद्धिक दिव्यांगता, एस. एल.जी.-विशिष्ट अधिगम अक्षमता, एम आई-मानसिक रुग्णता, एम.डी. बहु दिव्यांगता।

महत्वपूर्ण नोट: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे पद उपरोक्त चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार ध्यान दें कि क्र.सं. 1 से 5 पदों के लिए उक्त चिकित्सा मानकों की आवश्यकता है और इसलिए उन्हें ऊपर बताए गए दृष्टि एवं फिटनेस दोनों शारीरिक मानकों को विशेष रूप से सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, बहु दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उक्त पात्रताएं हों। यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर उपरोक्त मानकों के अनुसार अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

1. **वेतनमान:**
    1) **ए-1 स्तर पर पर्यवेक्षक (रा.भा.) के पद के लिए वेतनमान**: आईडीए वेतनमान में वेतन: ₹. 27600-95910 (तृतीय पीआरसी) तथा एस-1 स्तर पर लागू अन्य भत्ते

    2) **एस-1 स्तर पर तकनीकी विभाग में पर्यवेक्षक के पदों के लिए वेतनमान**: आईडीए वेतनमान में वेतन: ₹.27600-95910 (तृतीय पीआरसी) तथा एस-1 स्तर पर लागू अन्य भत्ते

    3) **बी-3 स्तर पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड II के पदों के लिए वेतनमान**: आईडीए वेतनमान में वेतन: ₹. 21,540 - ₹.77,160/- (तृतीय पीआरसी) तथा बी-3 स्तर पर लागू अन्य भत्ते

    4) **बी-4 स्तर पर एंग्रेवर (मेटल वर्क्स) के पद के लिए वेतनमान:** आईडीए वेतनमान में वेतन: ₹. 23,910 - ₹85,570/- (तृतीय पीआरसी) तथा बी-4 स्तर पर लागू अन्य भत्ते

    5) **बी-4 स्तर पर सचिवालय सहायक के पद के लिए वेतनमान:** आईडीए वेतनमान में वेतन: ₹. 23,910 - ₹85,570/- (तृतीय पीआरसी) तथा बी-4 स्तर पर लागू अन्य भत्ते

2. **पात्रता की शर्तें:**

    i. राष्ट्रीयता: उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:-

    (क) भारत का नागरिक, अथवा

    (ख) नेपाल, अथवा

    (ग) भूटान, अथवा

(घ) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई रूप से निवास करने की मंशा से आया हो, अथवा

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थाई निवास से भारत में निवास कर रहा है।

(च) बशर्ते यह कि उपर्युक्त श्रेणियों (ख), (ग), (घ) और (ङ) की श्रेणी से संबद्ध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(छ) ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक हो लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।

ii. आयु सीमा:

क. विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार सभी विज्ञापित पदों के लिए दर्शाई गई निचली और ऊपरी आयु सीमा की गणना की जाएगी। सभी विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों (दोनों तिथियों सहित) के बीच होनी चाहिए:

पद का नाम एवं पद कोड	आयु वर्ग	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (से पूर्व नहीं)			जन्म तिथि की निचली सीमा (के बाद नहीं)
		अना. (सा.)/ ईडब्ल्यूएस	अपिव-गैर क्रीमी लेयर@	अजा@/ अजजा@	सभी समुदाय/ श्रेणियों हेतु
01 से 06 तथा पर्यवेक्षक	18 से 30	02.10.1993	02.10.1990	02.10.1988	01.10.2005
07 से 09 तथा प्रयोगशाला सहायक, एंग्रेवर एवं सचिवालय सहायक	18 से 28	02.10.1995	02.10.1992	02.10.1990	01.10.2005

नोट: उपरोक्त तालिका में दी गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए जन्म तिथि सीमा में सामुदायिक आयु में छूट शामिल है। नीचे पैरा बी में तालिका में वर्ग /श्रेणियों के उम्मीदवार लागू आयु छूट के लिए पात्र होंगे।

@ जहां पर पद विशेष वर्ग हेतु आरक्षित नहीं है वहां अना./सा.वर्ग की आयु सीमा लागू होगी।

ख. हालांकि निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट निम्न सारणी के अनुसार है जो अपेक्षित प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर निर्धारित है।

क्र.सं.	वर्ग /श्रेणी		अधिकतम आयु सीमा (या) अधिकतम ऊपरी आयु में छूट
1	अपिव-गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)		3 वर्ष
2	अजा/अजजा		5 वर्ष
3	सत्यापन के बाद 6 माह से अधिक सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार	अना.	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
		अपिव- गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष प्लस 03 वर्ष
		अजा/ अजजा	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 05 वर्ष प्लस 03 वर्ष
4	अना./ईडब्ल्यूएस बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति		10 वर्ष
	अपिव-गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति		13 वर्ष
	अजा/अजजा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति		15 वर्ष
5	भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सेवारत उम्मीदवार		आवश्यक योग्यता को पूरा करने वाले भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. के सेवारत उम्मीदवारों के लिए कर्मचारियों के पास कोई आयु पट्टी नहीं होगी बशर्ते कि उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार कम से 03 वर्ष की सेवा बची हो
6	विधवाएं,तलाकशुदा महिलाएं या अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह नहीं किया हो। (केवल पद कोड 2 से 5 के लिए)	अना.	33 वर्ष
		अपिव- गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)	36 वर्ष
		अजा/अजजा	38 वर्ष
7	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	अना./अपिव- गैर क्रीमी लेयर(एनसीएल)/ ईडब्ल्यूएस	03 वर्ष
		अजा/अजजा	08 वर्ष

क. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू नहीं होगी।

ख. अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल वही आयु छूट प्रदान की जाएगी जो अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट उन पदों में दी जाएगी जिनकी पहचान ऐसे दिव्यांगों के लिए उपयुक्त है। आयु सीमा में छूट की अनुमति ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी जो न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग हैं।

ग. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है तो उसे आयु में अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी जिसके लिए वह पात्र है।

घ. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उनके मैट्रिक/एसएसएलसी/*10*वीं क्लास अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है। इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में बाद में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट I:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी की श्रेणी में आते हैं, वे दोनों श्रेणियों के तहत संचयी आयु-छूट प्राप्त करने लिए पात्र होंगे।

नोट II:- भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और डाक में पुनः रोजगार) नियम, 1979 में सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

नोट III:- आयु छूट उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जो स्वयं अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त किए गए हैं।

नोट IV:- उपरोक्त आयु छूट प्रावधान के बावजूद, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह (भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बाद) भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। **चूंकि विज्ञापित पद अना./अपिव/अजा श्रेणी से संबंधित है; पीडब्ल्यूबीडी एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए संबंधित श्रेणी मानकों में न्यूनतम योग्यता अंक और योग्यता में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक हासिल करना होगा।**

आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस विज्ञापन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हों। उन्हें अपने दावे के समर्थन में इस विज्ञापन के अंत में संलग्न अनुलग्नकों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

III. शैक्षणिक योग्यताएं: पदों हेतु निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं:

पोस्ट कोड एवं नाम	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की अंतिम तिथि को):
01 एवं पर्यवेक्षक (रा.भा.) {कनिष्ठ हिंदी अनुवादक}	आवश्यक: स्नातक स्तर पर अंग्रेजी / हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री (यदि हिंदी हो तो, उम्मीदवार अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और इसके विपरीत) और ➢ हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में एक वर्ष का अनुभव और इसके विपरीत। ➢ वांछनीय: क. संस्कृत और / या किसी अन्य आधुनिक भाषा का ज्ञान। ख. हिंदी भाषा में कंप्यूटर पर काम करने में प्रवीणता। **पर्यवेक्षक (रा.भा.) के पद के लिए अनुभव सरकारी मानदंडों का पालन करते हुए केंद्र / राज्य सरकारों / स्वायत्त निकायों / पीएसयू / पीएसबी / केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों / प्रतिष्ठित संगठनों से प्राप्त किया जाना चाहिए। आवश्यक योग्यता के बाद अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए।**
02 एवं पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रानिक्स), एस-1 स्तर	सरकारी बोर्ड/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ पूर्णकालिक डिप्लोमा या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स & कम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(4 वर्ष-इंजी.कोर्स)
03 एवं पर्यवेक्षक (मैकेनिकल), एस-1 स्तर	सरकारी बोर्ड/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ पूर्णकालिक डिप्लोमा या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(4 वर्ष-इंजी.कोर्स)
04 एवं पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल), एस-1 स्तर	सरकारी बोर्ड/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ पूर्णकालिक डिप्लोमा या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(4 वर्ष-इंजी.कोर्स)
05 एवं पर्यवेक्षक (सिविल), एस-1 स्तर	सरकारी बोर्ड/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ पूर्णकालिक डिप्लोमा या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से

	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(4 वर्ष-इंजी.कोर्स)
06 एवं पर्यवेक्षक (मेटलर्जी), एस-1 स्तर	सरकारी बोर्ड/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ पूर्णकालिक डिप्लोमा या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/बीएससी(4 वर्ष-इंजी.कोर्स)
07 एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II	न्यूनतम 55% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री (बी.एससी.) जिसमें अध्ययन के दौरान एक प्रमुख विषय के रूप में "रसायन विज्ञान" पढ़ना चाहिए।
08 एवं एंग्रेवर (मेटल वर्क्स)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ ललित कला में स्नातक * (मेटल वर्क्स)।
09 एवं सचिवालय सहायक	न्यूनतम **55%** अंकों के साथ स्नातक। कंप्यूटर का ज्ञान, अंग्रेजी आशुलिपि @80 शप्रमि तथा टंकण @40 शप्रमि

*** भाग-1 (2) (**पी) के तहत **23.06.2017** को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) विनियम, **2017** के अनुसार, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि पाठ्यक्रम ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग मोड में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट I: उम्मीदवार के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शामिल किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाना चाहिए या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी/अभियांत्रिकी योग्यता को संबंधित राज्य बोर्ड/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

नोट **II**: कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड अंकों की श्रेणी या प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और समग्र ग्रेड अंक आवंटित करते हैं (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड अंकों के प्रतिशत में कुल ग्रेड प्वाइंट के रूपांतरण के लिए मानदंडों को परिभाषित करता है तो इसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड कुल ग्रेड प्वाइंट को अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंडों को डिग्री/उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों में परिभाषित नहीं करते हैं तो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/संस्थान से अपरिभाषित पैमानों के तहत इस आशय से तैयार प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

समतुल्य सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई या 10 पॉइंट पैमाने पर आवंटित इसी तरह की शब्दावली	अंकों का कुल प्रतिशत
6.75	60%
6.25	55%
5.75	50%

नोट **III**: कुल ग्रेड प्वाइंट या अंकों का प्रतिशत जहां दिया जाता है वहां कुल का मतलब पूरी अवधि के पाठ्यक्रम से होगा।

नोट **IV**: जहां एग्रीगेट ग्रेड प्वाइंट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) को 10 के अलावा अन्य नंबरों में दिया जाता है वहां 10 में से इसे सामान्यीकृत किया जाएगा और ऊपर दिए गए नोट II के अनुसार गणना की जाएगी।

नोट **V**: जिन पदों के लिए आवश्यक हो, उन पदों के लिए अनुभव केंद्र/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/पीएसबी/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित निजी संगठनों से प्राप्त किया जाना चाहिए जो कंपनी अधिनियम या संसद/राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठित निजी संगठनों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपने कॉर्पोरेट पहचान संख्या या पंजीकरण संख्या को सरकारी विभागों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीएसटी नंबर और पैन नंबर लेटर हेड पर होने चहिए।

नोट VI: प्रथम श्रेणी का अर्थ है विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिया गया प्रथम श्रेणी चाहे अंकों का प्रतिशत कुछ भी हो। (यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्थान किसी भी श्रेणी या प्रतिशत को प्रदान नहीं करता है तो उन मामलों में जहां प्रथम श्रेणी की आवश्यकता है वहां पात्रता के लिए न्यूनतम 60% पर विचार किया जाएगा।

4. आरक्षण:

4.1 इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत मांगकर्ता द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

4.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल सम्बद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

4.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक-I (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) तथा अनुलग्नक-II अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, 13.09.2017 एवं इस केन्द्रीकृत रोजगार

सूचना की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से सम्बद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के प्रति आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी सम्बद्धता अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़े वर्ग का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समुदाय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप **अनुलग्नक IIA** में दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से सम्बद्ध नहीं है। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

4.4 . ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण

जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग- एनसीएल के आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ हेतु चिह्नित किया जाता है। आवेदन वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष हेतु आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि आय स्रोतों को भी सम्मिलित किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति है उन्हें परिवारिक आय के बावजूद ईडब्ल्यूएस लाभ से वंचित रखा गया है:

i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में परिवार द्वारा धारित संपत्ति को मिला दिया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क. जिलाधिकारी/ अपर जिला दंडाधिकारी/ जिलाधीश/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वित्तीकाग्राही मजिस्ट्रेट/ उपमंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक दंडाधिकारी/ अपर सहायक आयुक्त

ख. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/

ग. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं

घ. जहां उम्मीदवार और/ या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है उस क्षेत्र का उपमंडल

अधिकारी

ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षित रिक्तियों का आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस विज्ञापन के आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक का आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित पद के लिए उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (अना.) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (अना.) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

4.5 एससी/एसटी/अपिव-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार जो आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, वे भी अना. रिक्तियों हेतु आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अना. उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अना. रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी वास्तविक श्रेणी बताना होगा।

4.6 इस विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि को समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए केवल आरक्षण हेतु विचार किया जाएगा। यदि पात्र और उसके बाद उम्मीदवार के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै):

5.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रेंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है परन्तु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने प्रतिरक्षा सुरक्षा काप्प्स, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।

तथा

क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पशचात, नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त किए पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)

ख. ऐसा व्यक्ति, जो मिलिट्री सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)

ग. जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)

घ. जो ऐसी सेवा से अपनी सेवाओं की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जो उसके अनुरोध पर, अथवा बर्खास्तगी द्वारा, अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण नहीं है तथा उसे उपदान दिया गया है, तथा जिसमें टैरीटोरियल आर्मी, नामतः अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है, (अथवा)

ङ. आर्मी पोस्टल सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो आर्मी पोस्टल सेवाओं से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में परावर्तन के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो आर्मी पोस्टल सेवाओं से मिलिट्री सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है, (अथवा)

च. वे कार्मिक जो आर्मी पोस्टल सेवाओं में 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छः माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, (अथवा)

छ. टैरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले, (अथवा)

ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए एक्स-रिक्रयूट्स जिन्हें 1.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

झ. सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की कॉल अप सर्विस की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी

ञ. आयु में छूट/भूतपूर्व सैनिक आरक्षण पूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्रियों और आश्रितों के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को पूर्व सैनिक के रूप में अपनी श्रेणी का संकेत नहीं देना चाहिए।

5.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पशचात भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेगीं परन्तु ऐसे व्यक्तियों को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा न कर ले।
तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के पास केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

5.3 उन भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने केन्द्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) में सिविल रोजगार पहले ही प्राप्त कर लिया है, को केवल केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग/घ' के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।

5.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के प्रति आवेदन करता है तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभ प्रदान किए जाएंगे परन्तु ऐसे भूतपूर्व सैनिक को सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत किए गए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द आनी/जाएगी। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

6. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

6.1 पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता या अन्यथा पर्यवेक्षक(परख एवं परिशोधन)/प्रयोगशाला

सहायक/एंग्रेवर (स्कल्प्चर/मेटल वर्क्स/पेंटिंग) के लिए उप दिव्यांगता के विवरण "बेंचमार्क दिव्यांग (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति) व्यक्ति उम्मीदवार हेतु नोट" शीर्षकके के रूप में इंगित किया गया है।

बेंचमार्क दिव्यांग:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 (19 अप्रैल, 2017 से लागू) के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता निम्नलिखित हैं:-

I. दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि;
II. बधिर और कम सुनने वाला;
III. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित तथा मांसपेशी दुर्विकास सहित लोकोमोटर दिव्यांगता;
IV. ऑप्टिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता;
V. बधिर प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा निम्नलिखित है:

6.2 निर्दिष्ट दिव्यांगों की परिभाषा:

6.2.1 शारीरिक अक्षमता:-

क) लोकोमोटर अक्षमता (हड्डियों, जोड़ों अथवा मांस पेशियों की अक्षमता है जिसके कारण शरीर के अंगों का संचलन प्रतिबंधित हो या प्रमस्तिष्क पक्षाघात की कोई स्थिति हो), जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-

(क) – कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किंतु निम्नलिखित से ग्रसित है:-

(i) जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी तथा नेत्र और पलकों में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किंतु कोई प्रकट विरूपता नहीं है।

(ii) प्रकट निःशक्तताग्रस्त और आंशिक घात है किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते हैं।

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(ख) — प्रमस्तिष्क पक्षाघात का अर्थ है गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह जो शरीर के अवस्थाओं और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, आमतौर पर जन्म के दौरान या कुछ ही समय बाद होने वाली;

(ग) — बौनापन का अर्थ है चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके कारण वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(घ) — मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गुम जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए

आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मौत की विशेषता है;

(ङ) — एसिड हमले के पीड़ितों का मतलब है कि एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंककर हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

ख) नेत्रहीनता —

(क) — नेत्रहीनता का अर्थ वह स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार में से कोई भी हो, सर्वोत्तम सुधार के बाद —

(i) पूर्ण दृश्यता न होना; अथवा

(ii) यथा संभव सुधार के बाद बेहतर आँख 3/60 या 10/200 (स्नेल्लैन) से कम हो; अथवा

(iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री से कम कोण पर हो

(ख) — कम दृश्यता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित शर्तें होती हैं, अर्थात्:-

(i) यथासंभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक नहीं होनी चाहिए या 10/200 (स्नेल्लैन) तक या 3/60 तक या 20/60 से कम हो

(ii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक का कोण हो।

(ग) श्रवण ह्रास —

(क) — श्रवण ह्रास से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि;

(ख)— ऊँचा सुनने से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 से 70 डेसीबल या अधिक की हानि;

(घ) (1) — वाक् और भाषा दिव्यांगता का अर्थ है लैरींगेक्टोमी या वाचाघात जैसे स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी दिव्यांगता जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक अक्षमता, ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूल व्यवहार जिसमें हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल (तर्क, सीखने, समस्या समाधान) दोनों की निम्न विशेषता वर्णित है—

(क) — विशिष्ट अधिगम अक्षमता का अर्थ है एक या अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक विकार जो भाषा को समझने या बोलने या लिखित रूप में उपयोग करने में शामिल है। सुनने, सोचने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने की अपूर्ण क्षमता प्रकट हो सकती है;

(ख) — ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(3) मानसिक व्यवहार-मानसिक बीमारी का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अधूरे या अधूरे विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता की विशेषता है।

(4) दिव्यांगता के कारण हुई — (क) पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे —

(i) — मल्टीपल स्केलेरोसिस का अर्थ है एक भड़काऊ, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के आसपास माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता को प्रभावित करने और प्रभावित करने की क्षमता प्रभावित होती है। एक दूसरे के साथ संवाद,

(ii) — पार्किंसंस रोग का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, पेशीय कठोरता, और धीमी गति से, गलत गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्गिलया के अध: पतन से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है और इसकी कमी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन।

(ख) रक्त विकार —

(i) — हीमोफिलिया का अर्थ है एक अंतर्निहित बीमारी, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जो रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता की हानि या हानि की विशेषता होती है, ताकि एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है:

(ii) — थैलीसीमिया का अर्थ है विरासत में मिले विकारों का एक समूह जो हीमोग्लोबिन की कम या अनुपस्थित मात्रा की विशेषता है।

(iii) — सिकल सेल रोग का अर्थ है एक हीमोलिटिक विकार जो पुरानी एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतकों और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है; -हीमोलिटिक॥ लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन की रिहाई होती है।

(5) बधिर, दृष्टिहीनता सहित कई दिव्यांग (उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगों में से एक से अधिक) जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के पास श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षणिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(6) केंद्र सरकार द्वारा सूचित अन्य श्रेणी।

6.2.2 छूट के लिए अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

केवल ऐसे व्यक्ति ही उन पदों पर शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40 से कम नहीं हैं। जिन व्यक्तियों ने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और

दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के प्रपत्र V, VI एवं VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक IV (ए), अनुलग्नक IV(बी) और अनुलग्नक IV(सी) का अवलोकन करें। दिव्यांग अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के तहत जारी दिव्यांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

6.3 प्रलिपिक की सहायता: जिन उम्मीदवारों की लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मस्कुलर डिस्ट्रॉफी/लोकोमोटर दिव्यांगता (एक भुजा)/बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार अपना उत्तर लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं। प्रलिपिक रखने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसकी सूचना देनी होगी। प्रलिपिक की सेवा निम्नलिखित शर्तों पर ली जा सकती है:

(क) उम्मीदवारों को अपने लिए प्रलिपिक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ख) इस तरह की सेवा दे रहा प्रलिपिक विज्ञापित पद हेतु स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिस अधिसूचना के अंतर्गत उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है। इसके अलावा एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक ही प्रलिपिक की सेवाएं नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में प्रलिपिक एवं उम्मीदवार को घोषण प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी स्तर पर उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में प्रलिपिक तथा उसका लेखन कार्य अयोग्य माना जाएगा।

(ग) ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के दौरान प्रलिपिक का चयन करने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक V के अनुसार प्रलिपिक को अतिरिक्त विवरण प्रदान करना होगा। प्रलिपिक को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर मूल एवं वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा।

(घ) परीक्षा के दौरान उसके द्वारा लाए गए प्रलिपिक की ओर से किसी भी कदाचार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा।

(ङ) प्रलिपिक की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अनुपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(च) जो उम्मीदवार प्रलिपिक की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन ऑनलाइन आवेदन के समय प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर **अनुलग्नक V** में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर प्रलिपिक की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) प्रलिपिक किसी भी अकादमिक स्ट्रीम से हो सकता है। हालांकि प्रलिपिक निर्धारित पद से भिन्न किसी अकादमिक स्ट्रीम से होना चाहिए।

(ज) उम्मीदवार एवं प्रलिपिक को एक शपथ पत्र देना होगा जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रलिपिक ऊपर उल्लिखित प्रलिपिक की सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या छुपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो।

(झ) प्रलिपिक को अपने स्तर पर जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार के पाए

जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ञ) केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को ऐसी रियायतों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उम्मीदवारों को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी के लिए समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले उम्मीदवारों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ट) चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारियों से चिकित्सा जांच कराना होगा और इस अधिसूचना/विज्ञापन तथा अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप ही उम्मीदवार, जैसा कि मामला हो सकता है, नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(ठ) ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरणों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किए जा सकते हैं।

(ड) **लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश:** लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले उम्मीदवारों के लिए बीस मिनट प्रति घंटे या अन्यथा सलाह दी गई प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रभावी रूप से कार्य(लेखन) को धीमा करने की सीमा (न्यूनतम 40% क्षति) तक प्रभावित होता है ।

7. पद्धति, केंद्र, कॉल लेटर और परीक्षा की भाषा:

ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से पदों का चयन किया जाएगा। इस ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा द्विभाषी अर्थात् हिंदी एवं अंग्रेजी में होगी। कोई भी विसंगति होने पर अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी।

i) पद का नाम एवं पद कोड: पर्यवेक्षक (रा.भा.), ए-1 स्तर [पद कोड.1], पर्यवेक्षक, एस-1 स्तर [पद कोड.2 से 6], प्रयोगशाला सहायक, बी-3 स्तर [पद कोड.7]

निम्नलिखित पद्धति के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>प्रश्नों की संख्या</th><th>अधिकतम अंक</th><th>प्रत्येक भाग हेतु परीक्षा की अवधि</th><th>परीक्षा की कुल अवधि</th></tr>
<tr><td colspan="4">भाग-क</td><td rowspan="2">30 मिनट</td><td rowspan="4">90 मिनट</td></tr>
<tr><td>1</td><td>सामान्य योग्यता परीक्षा (सामान्य जागरूकता, बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल, कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, बुनियादी अंकगणितीय योग्यता)</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="4">भाग-ख</td><td rowspan="2">60 मिनट</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तकनीकी विषय (विशिष्ट स्ट्रीम से संबंधित विषय)</td><td>60</td><td>120</td></tr>
</table>

कुल अंक	150		

विभिन्न श्रेणियों में आगे की चयन प्रक्रिया हेतु पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे:

क्र.सं.	उम्मीदवार की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक
1.	सामान्य/ईडब्ल्यूएस	55%
2.	अपिव	50%
3.	अजा/अजजा	45%

- **महत्वपूर्ण नोट: ऑनलाइन परीक्षा के भाग-क और भाग-ख के लिए अलग से कोई अर्हक अंक नहीं होंगे, हालांकि, प्रत्येक उम्मीदवार को उक्त विवरण के अनुसार न्यूनतम समग्र अंक प्राप्त करना होगा।**
- केवल ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उसे अपने अंतिम चयन के लिए योग्यता क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक प्राप्त करना होगा।
- ऑनलाइन परीक्षा के बाद दस्तावेज़ सत्यापन हेतु चयनित उम्मीदवारों के अनुक्रमांक भा.स.ट., हैदराबाद की वेब-साइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

ii) पदनाम एवं पद कोड: एंग्रेवर (मेटल वर्क्स) [पद कोड 8]

(क) एंग्रेवर (मेटल वर्क्स) बी-**4** स्तर पद के लिए चयन **02** चरणों# में आयोजित किया जाएगा

चरण-I:

निम्नलिखित योजना के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	प्रत्येक भाग हेतु परीक्षा की अवधि	परीक्षा की अवधि
भाग-क					90 मिनट
1	सामान्य योग्यता परीक्षा (सामान्य जागरूकता, बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल, कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, बुनियादी अंकगणितीय योग्यता)	20	20	30 मिनट	
भाग-ख					
2	तकनीकी विषय (विशिष्ट स्ट्रीम से संबंधित विषय)	40	80	60 मिनट	
		कुल अंक	100		

विभिन्न श्रेणियों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों

द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में है:

क्र.सं.	उम्मीदवार की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक
1.	अपिव	50%

- **महत्वपूर्ण नोट**: ऑनलाइन परीक्षा के भाग-क और भाग-ख हेतु अलग से कोई अर्हक अंक नहीं होगा, हालांकि, प्रत्येक उम्मीदवार को ऊपर विस्तृत रूप में न्यूनतम समग्र स्कोर प्राप्त करना होगा।
- जो उम्मीदवार ऊपर बताए गए न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं और उच्च रैंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें 1:4 के अनुपात में चरण-II के लिए चुना जाएगा। यानी ट्रेड परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक पद के लिए 04 उम्मीदवारों को चुना जाएगा। यदि 1:4 अनुपात में चुने गए उम्मीदवारों में से चुने गए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं आते या अर्हक अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो योग्यता सूची में आगे के उम्मीदवारों को उसी अनुपात में ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा यानी 1:4 उपर्युक्त तालिका में दिए गए न्यूनतम अर्हक अंक एवं उच्च रैंक हासिल करने पर आधारित है।
- केवल ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने से कोई उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अंतिम चयन हेतु योग्यता क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक हासिल करना होगा।
- चरण-I की परीक्षा के उपरांत चरण-II की परीक्षा हेतु चुने गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक को भा.स.ट., हैदराबाद की वेब-साइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

चरण -II:

जो उम्मीदवार भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा तय उक्त मानकों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें संबंधित स्ट्रीम में इकाई में आयोजित की जाने वाली ट्रेड परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।**#**

ट्रेड परीक्षा योग्यता प्रकृति का होगा तथा उम्मीदवारों द्वारा चरण-**I** की ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा।

iii) पदनाम एवं पद कोड: सचिवालय सहायक [पद कोड 9]

(क) बी-**4** स्तर पर सचिवालय सहायक पद के लिए चयन **02** चरणों**#** में आयोजित किया जाएगा

चरण-I:

निम्नलिखित योजना के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	प्रत्येक भाग हेतु परीक्षा की अवधि	परीक्षा की अवधि
1	सामान्य योग्यता तथा कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा	30	30	25 मिनट	90 मिनट
2	अंग्रेजी भाषा कौशल	30	30	25 मिनट	
3	संख्यात्मक योग्यता	20	20	20 मिनट	
4	तार्किक योग्यता	20	20	20 मिनट	
		कुल अंक	100		

विभिन्न श्रेणियों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में है:

क्र.सं.	उम्मीदवार की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक
1.	सामान्य	55%

- **महत्वपूर्ण नोट**: ऑनलाइन परीक्षा के भाग-क और भाग-ख हेतु अलग से कोई अर्हक अंक नहीं होगा, हालांकि, प्रत्येक उम्मीदवार को ऊपर विस्तृत रूप में न्यूनतम समग्र स्कोर प्राप्त करना होगा।
- जो उम्मीदवार ऊपर बताए गए न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें चयन प्रक्रिया के चरण-II के लिए चुना जाएगा।
- केवल ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने से कोई उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अंतिम चयन हेतु योग्यता क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक हासिल करना होगा।
- चरण-I की परीक्षा के उपरांत चरण-II की परीक्षा हेतु चुने गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक को भा.स.ट., हैदराबाद की वेब-साइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

चरण -II:

जो उम्मीदवार भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा तय उक्त मानकों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं उन्हें हैदराबाद परीक्षा केंद्र में आयोजित कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।**#**

सचिवालय सहायक पद हेतु चरण-II में निम्नानुसार कौशल परीक्षा होगी जो योग्यता प्रकृति का होगा।

क) 40 मिनट में# अंग्रेजी आशुलिपि में @80 शप्रमि (10 मिनट का श्रुतलेखन एवं 30 मिनट का अनुलेखन सहित)

ख) 10 मिनट में@ टंकण परीक्षा @40 शप्रमि

सामान्य श्रेणी हेतु 5% त्रुटि की छूट होगी

@ **चरण-I के परिणाम घोषण के पश्चात** इस संबंध में संपूर्ण मार्गदर्शन जारी किया जाएगा।

कौशल परीक्षा योग्यता प्रकृति का होगा तथा उम्मीदवारों द्वारा चरण-**I** की ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा।

उम्मीदवारों हेतु अन्य अनुदेश

- चयन प्रक्रिया में आवेदक को परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने होंगे और चयन की आगे की प्रक्रिया के लिए अगले चरण हेतु जाने के हेतु पर्याप्त उच्च रैंक प्राप्त करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा में आवेदकों

के प्रदर्शन के आधार पर ही कंपनी द्वारा न्यूनतम अंक तय किए जाएंगे। हालांकि, चूंकि अंतिम चयन रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ सापेक्ष प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, केवल ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने से कंपनी में नियुक्ति के लिए आवेदक को हकदार नहीं होगा।

- पदों के लिए पाठ्यक्रम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा । ऑनलाइन परीक्षा में जहां भी जरूरी होगा, नाप-तौल की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाएगा।

- **परीक्षा में नेगटीव मार्किंग नहीं होगी।**

- कॉल लेटर में परीक्षा की सही तारीख, सत्र, उपस्थित होने के समय का उल्लेख किया जाएगा। कॉल लेटर में दिए गए स्थानों ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदकों को अपने खर्चे पर कॉल लेटर में बताए गए बताए गए तारीख और समय पर परीक्षा में उपस्थित होना होगा। आवेदकों से अनुरोध है कि परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए कंपनी की वेबसाइट https://igmhyderabad.spmcil.com का अवलोकन करते रहें।
- नोटिस में दर्शाई गई परीक्षा की तिथि संभावित है। उम्मीदवारों को परीक्षा के शेड्यूल में किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी भा.स.ट., हैदराबाद की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।
- सभी आवेदकों को अपने जोखिम और खर्च पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
- स्कोर के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- **टाई का समाधान (वरीयता क्रम में) निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:**

  पद कोड सं.9 के अलावा अन्य सभी पदों के लिए
  - उम्मीदवार द्वारा तकनीकी विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किया जाना।
  - वरिष्ठ आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
  - नामों के वर्णानुक्रम के आधार।

  पद कोड सं.9 के लिए
  - उम्मीदवार द्वारा सामान्य जानकारी एवं कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किया जाना।
  - उम्मीदवार द्वारा अंग्रेजी भाषा कौशल परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किया जाना।
  - वरिष्ठ आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
  - नामों के वर्णानुक्रम के आधार।
- दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए न्यूनतम कुल कट ऑफ मार्क्स का निर्णय भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा रिक्तियों की संख्या के संबंध में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवार की लिखित परीक्षा के बाद भा.स.ट., हैदराबाद वेब-साइट पर अनुक्रमांक प्रकाशित किया जाएगा ।
- भा.स.ट., हैदराबाद के मुख्य महाप्रबंधक को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवश्यक माने जाने पर परीक्षा की योजना/पैटर्न में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि परीक्षा के आयोजन से पहले इसे वेबसाइट में अधिसूचित किया जाएगा।
- यदि ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को

सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के बराबर किया जाएगा।

- **नोट: सभी विज्ञापित पदों के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के लिए अनुबंध-V के रूप में संलग्न हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि उल्लिखित पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अन्य विषयों से प्रश्न निर्धारित किए जा सकते हैं।**

<u>कॉल लेटर डाउनलोड कैसे करें</u>

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने हेतु भा.स.ट., हैदराबाद की वेबसाइट पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। एक बार जब उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक कर देता है, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड के लिए विंडो तक पहुंच सकता है। उम्मीदवार को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक, (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर पर हाल ही में पहचानने योग्य तस्वीर को अधिमानतः पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई और नीचे खंड 11(सी) में निर्धारित (i) कॉल लेटर (ii) फोटो पहचान प्रमाण के साथ परीक्षा केंद्र पर दिखाना होगा और मूल रूप से लाए गए उसी फोटो पहचान प्रमाण के कॉल लेटर और फोटोकॉपी में भी निर्दिष्ट किया गया है।

ऑनलाइन परीक्षा केंद्र:

(i) ऑनलाइन परीक्षा (सभी पदों हेतु) निम्नलिखित **परीक्षा केंद्रों** पर आयोजित की जाएगी: 1) हैदराबाद**, 2)** चेन्नई**, 3)** मुंबई**, 4)** कोलकाता तथा 5) दिल्ली (एनसीआर सहित)

ट्रेड परीक्षा (पद कोड 8 एवं 9 के लिए) **हैदराबाद परीक्षा केंद्र** पर ही आयोजित की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट: यदि किसी केंद्र को कम उम्मीदवारों द्वारा चुना जाता है, तो उसे बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और केंद्र का चयन करने वाले उम्मीदवारों को व्यवहार्यता के अनुसार निकटतम उपलब्ध केंद्र या हैदराबाद परीक्षा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। भा.स.ट., हैदराबाद में उम्मीदवारों के ठहरने/रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए भा.स.ट., हैदराबाद जिम्मेदार नहीं होगा।

- यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स क्षमता कम है या किसी भी केंद्र पर या किसी भी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है ।

8. स्कोर प्राप्त के लिए प्रक्रिया

निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर ऑनलाइन परीक्षा में स्कोर प्राप्त किया जाता है:

(i) उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर की संख्या सही स्कोर प्राप्त करने का आधार माना जाएगा।

(ii) समान स्कोर प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर, यदि कोई हो, के मामूली अंतर पर ध्यान देने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंको को समान बनाया जाता है।

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त स्कोर को सभी रूपों के स्कोर वितरण को ध्यान में रखत हुए बेस फॉर्म में समीकृत किया जाता है।

(iii) परीक्षावार स्कोर और कुल स्कोर को दशमलव बिंदु के दो अंकों तक सूचित किया जाता है। नोट: कुल स्कोर पर कटऑफ लागू किया जाता है।

i. **कुल स्कोर पर**

9. **आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क:**

क्र. सं.	श्रेणी	शुल्क	राशि*
1.	अजा/अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी/भूसै	केवल सूचना शुल्क	रु. 300/-**
2.	सा./अपिव/ईडब्ल्यूएस	सूचना शुल्क सहित आवेदन शुल्क	रु. 650/-**

* बैंक/ट्रांजेक्शन शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।
** उपरोक्त शुल्क वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है।

नोट I: निर्धारित शुल्क/सूचना शुल्क के बिना आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार किए जाएंगे।

नोट II: एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए रिजर्व में रखा जा सकता है।

नोट III: शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान केवल इस विज्ञापन में निर्धारित तरीके से किया जाना आवश्यक है।

नोट IV: शुल्क के भुगतान से छूट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को शुल्क को भुगतान से छूट दी जाती है, हालांकि उन्हें सूचना शुल्क और किसी भी बैंक लेनदेन/सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा।

नोट V: उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें भा.स.ट., हैदराबाद /भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. द्वारा आयोजित परीक्षाओं से स्थायी रूप से वारित कर दिया जाएगा, यदि वे धोखाधड़ी से अजा/अजजा/अपिव/पूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी का दर्जा प्राप्त करते हैं।

10. आवेदन कैसे करें

(क) उम्मीदवारों को वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com/. के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन का कोई अन्य साधन/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-I में उपलब्ध हैं जो भा.स.ट., हैदराबाद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदकों को एक ही आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है; तथापि, यदि किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण, वह दूसरा/एकाधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च पंजीकरण आईडी (आरआईडी) के साथ आवेदन आवेदक के विवरण, परीक्षा केंद्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्त लेखन उपक्रम, शुल्क आदि सभी प्रकार से पूरा हो। जो आवेदक कई आवेदन जमा कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा केवल उच्च आरआईड के साथ अंतिम पूर्ण आवेदन पर विचार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए भुगतान किए गए शुल्क को किसी अन्य आरआईडी के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(ख) सभी उम्मीदवार चाहे वे पहले से ही सरकारी सेवा, स्वायत्त निकायों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी तरह के अन्य संगठनों में हों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों या आकस्मिक या दैनिक रेटेड कर्मचारियों के अलावा अन्य कार्य प्रभारित कर्मचारियों या सार्वजनिक उद्यमों के तहत सेवारत लोगों को ऑनलाइन आवेदन में एक उपक्रम प्रस्तुत करना हो या दस्तावेज सत्यापन के दौरान उस आशय का प्रमाण हो जिसे उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित किया हो । हैट उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा अपने नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है तो परीक्षा में बैठने/बैठने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अनुमति दी जाती है, तो उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा । इसमें शामिल होने के समय अनुशंसित उम्मीदवारों को अपने पीएसयू/गवर्नमेंट/अर्ध-सरकारी नियोक्ता से उचित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना होगा।

नोट: उम्मीदवारों को अपने आवेदनों के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम, ईडब्ल्यूएस आदि के संबंध में अपने दावों के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के समय ही किया जाएगा । पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, जिसके लिए उन्हें भा.स.ट., हैदराबाद अर्थात् भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा प्रवेश दिया जाता है । चरण-1 या चरण-II पूरी तरह से अनंतिम होगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को संतुष्ट करने के अधीन होगा । यदि परीक्षाओं से पहले या बाद में या टाइपिंग परीक्षा के दौरान किसी भी समय सत्यापन करने पर, यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं; परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा रद्द कर दी जाएगी । यदि उनके किसी भी दावे को गलत पाया जाता है, वे खुद को आपराधिक के लिए उत्तरदाई प्रदान कर सकते है।

अनुचित साधनों के उपयोग/कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

उम्मीदवार को भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा दोषी घोषित किया गया है या किया जाएगा, जो:

(i) निम्नलिखित साधनों से अपनी उम्मीदवारी हेतु सहायता लेना, अर्थात्:-

(क) अवैध परितोषण की पेशकश, या

(ख) दबाव बनाना, या

(ग) ब्लैकमेल करना, या परीक्षा के संचालन सम्बंधी किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की धमकी देना, या

(ii) परीक्षा में अपनी जगह किसी को बैठाना, या

(iii) किसी भी व्यक्ति को पैसा देकर अपनी जगह परीक्षा में बैठाना, या

(iv) दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके जाली दस्तावेज जमा करना, या

(v) ऐसे बयान देना जो अनुचित या गलत हो या जानकारी छुपाने वाली हो

(vi) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी हेतु निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना, अर्थात्

(क) अनुचित माध्यमों से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गुप्त कार्य से जुड़े व्यक्तियों का विवरण ढूंढना

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना,

(viii) या अश्लील बात लिखना या स्क्रिप्ट में अश्लील रेखाचित्र ड्राइंग, या

(ix) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार जिनमें लिपियों को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना, अव्यवस्थित महौल पैदा करना और या इस तरह का कोई कार्य, या

(x) अपात्र होने के बावजूद परीक्षा में प्रतिपूरक समय का लाभ उठाना/प्रलिपिक का उपयोग करना, या

(xi) भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा नियोजित कर्मचारियों को परीक्षाओं के संचालन के लिए परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या

(xii) मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस या परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में उपयोग करने में सक्षम किसी अन्य उपकरण को अपने पास रखना, या

(xiii) उम्मीदवारों को उनके प्रवेश-पत्र के साथ जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना, या

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/ किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे

1. भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा इन नियमो के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जायेगा और अथवा
2. उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए (i) भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जायेगा (ii) भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा उसके आधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जायेगा (iii) यदि वह पहले से ही भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.सेवा में है तो उसे भा.स.ट., हैदराबाद/भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. द्वारा

सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और (iv) यदि वह पहले से ही किसी अन्य सेवा में है, तो भा.स.ट., हैदराबाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उसके नियोक्ता को सूचित करेगा।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक : (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

11. सामान्य अनुदेश:

(क) भा.स.ट., हैदराबाद से पत्राचार: भा.स.ट., हैदराबाद निम्नलिखित मामलों के अलावा उम्मीदवारों के साथ उनकी उम्मीदवारी के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

परीक्षा शुरू होने से दो सप्ताह पहले पात्र उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को डाउनलोड करने के लिए कॉल लेटर कंपनी की वेबसाइट www.igmhyderabad.spmcil.com पर उपलब्ध कराया जाएगा । डाक से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से दो सप्ताह पहले तक परीक्षा हेतु अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अपना ई-कॉल लेटर या कोई अन्य संचार प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे तुरंत उपर्युक्त सहायता सुविधा से संपर्क करना चाहिए।

(ख) किसी भी उम्मीदवार को आमतौर पर कॉल लेटर के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उसको सावधान से जांच करें और विसंगतियों/त्रुटियों, यदि कोई है, को तुरंत IGMH की ध्यान में लाएं।

(ग) **परीक्षाओं के समय प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान के प्रमाण:** परीक्षा के चरण-1 या चरण-II के लिए उपस्थित होते समय, उम्मीदवारों को कॉल लेटर के अलावा वर्तमान में वैध मौलिक फोटो पहचान पत्र और उसकी एक फोटोकॉपी को प्रस्तुत करना है । पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/ फोटो सहित बैंक पासबुक/ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा लेटरहेड में जारी फोटो सहित प्रमाणपत्र / किसी जन प्रतिनिधि द्वारा लेटरहेड में जारी फोटो सहित प्रमाणपत्र/ मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय के अद्यतन मान्य पहचान पत्र /ई-आधार कार्ड/ फोटो सहित आधार /कर्मचारी आईडी/ बार काउंसिल द्वारा जारी फोटो सहित पहचान पत्र स्वीकार्य है । उम्मीदवार कि पहचान का सत्यापन उनके प्रवेशपत्र/ परीक्षा कॉल लेटर, उपस्थिति सूची एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आपेक्षित दस्तावेज़ों से किया जाएगा । यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दीया जाएगा।

<u>टिप्पणी</u>: उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेते समय प्रवेश पत्र/परीक्षा कॉल लेटर के साथ मूल फोटो सहित पहचान पत्र एवं उसकी एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी, उसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी । चरण-I में फोटो पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी पर्याप्त होगी हालांकि, चरण-II की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र की एक से अधिक फोटोकॉपी साथ में लाना होगा। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कॉल लेटर पर प्रदर्शित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया है) और फोटो

पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, अंकपत्र में समान होना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम/अंतिम/मध्य नाम बदलने वाली महिला उम्मीदवारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल दिया है, उनके मामले में केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्रित अधिसूचना/उनके मूल विवाह प्रमाण पत्र/शपथ पत्र को उसके फोटोकॉपीयों के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि प्रवेश पत्र/परीक्षा कॉल लेटर और फोटो पहचान पत्र में दर्शाए गए नाम में कोई बेमेल है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

समय के बाद रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों के लिए : परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय के बाद रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ के पहले का है। हालांकि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे है, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं, जैसे विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रहण, लॉग इन करना, अनुदेशों को प्राप्त करना, को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 3-4 घंटे तक आयोजन स्थल पर रहना पड़ सकता है।

(घ) भा.स.ट., हैदराबाद प्रतिक्रियाओं की असामान्यता का पता लगाने के लिए उपस्थित सभी उमीदवारों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाएगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त किए गए अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो भा.स.ट., हैदराबाद को उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार है।

(ङ) भा.स.ट., हैदराबाद के नियंत्रण से परे या किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए भा.स.ट., हैदराबाद को कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(च) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा का प्रवेश अनंतिम होगा जो आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर है। यह प्रवेश भा.स.ट., हैदराबाद/ भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. द्वारा पात्रता की सभी शर्तों के सत्यापन के अधीन होगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा अंतिम रूर से स्वीकृति दी है या विज्ञापन के लिए उसके आवेदन में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा सत्य और सही मान लिया है। उम्मीदवार ध्यान दें कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा किसी उम्मीदवार की पात्रता शर्तों का सत्यापन तभी करेंगे जब उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करता है। परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा पुष्टि दिया जाता है।परीक्षा के लिए उम्मीदवार का प्रवेश या उनकी पात्रता पर भा.स.ट, हैदराबाद का निर्णय अंतिम होगा।

(छ) ऑनलाइन परीक्षा में योग्य घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारीत प्रमाण पत्र जैसे स्नातकोत्तर/स्नातक के सभी वर्षों के अंकपत्र या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण केलिए स्नातक डिग्री /अनंतिम प्रमाण पत्र के मूल प्रति को प्रस्तुत करना होगा, इस प्रक्रिया में विफल

उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा रद्द कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा यह साबित करने में सक्षम होता है कि अर्हता परीक्षा का परिणाम कट ऑफ डेट पर या उससे पहले घोषित किया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उन्हें शैक्षिक योग्य समझा जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि आपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के परिणामों की घोषणा संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक 01.10.2023 तक किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कट ऑफ तिथि के बाद विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा परिणाम की घोषणा से अ.यो की मांग पूरी नहीं हो जाता है।**

(ज) उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कुछ मामलों में कॉल लेटर में नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त हो सकता है।

(झ) परीक्षाओं के आयोजन में कुछ समस्यायाँ घटित होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जिससे परीक्षा और परिणाम घोषणा पर प्रभाव हो सकता है। उस स्थिति में इस तरह की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास, जैसे जिसमें उम्मीदवारों की आवाजाही, परीक्षा में देरी, किया जाएगा। पुन: परीक्षा का संजोजन करने का पूर्ण विवेकाधिकार भा.स.ट., हैदराबाद / परीक्षा संचालन निकाय पर निर्भर है। उम्मीदवार पुन: परीक्षा हेतु कोई दावा नहीं कर सकता है। स्तानांतरण या परीक्षा की देरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होने वाले उम्मीदवारों को प्रक्रिया से सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ञ) उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि कॉल लेटर/दस्तावेज सत्यापन पत्र आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर को चालू रखें। । उम्मीदवार नियमित रूप से ई-मेल/एसएमएस की जांच करते रहें। भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा किसी अन्य माध्यम से कोई संचार नहीं किया जाएगा।

(ट) भा.स.ट., हैदराबाद उम्मीदवारों को अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करता है। चरण- 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने के बाद चरण- 1 (ऑनलाइन परीक्षा) में प्राप्त अंकों को वेबसाइट www.igmhyderabad.spmcil.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ठ) उम्मीदवारों के चयन/भर्ती के संबंध में उनके द्वारा या उनके लिए कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने की किसी भी श्रम को अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

(ड) पात्रता, परीक्षाओं के संचालन, मूल्यांकन, परिणाम ,परीक्षा में न्यूनतम अर्हता मानक का निर्धारण, रिक्तियों की संख्या आदी संबंधित सभी मामलों में भा.स.ट., हैदराबाद का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ढ) दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता दिव्यांगों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार होगी। दिव्यांगों को निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप शारीरिक आवश्यकताओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (क्षमताओं/अक्षमताओं) के संदर्भ में विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करने की भी आवश्यकता होगी।

(ण) सामुदायिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार केवल उस स्थिति में ही पात्र होगा, जब उम्मीदवार की जाति केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह सूचित करता है कि वह सामान्य श्रेणी में आता है लेकिन बाद में भा.स.ट., हैदराबाद को अपनी श्रेणी आरक्षित में बदलने के लिए अनुरोध करता है तो ऐसे अनुरोध पर भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों पर भी इसी तरह के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार दुर्भाग्यवश शारीरिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में, उम्मीदवार को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में निर्धारित 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का वैध दस्तावेज को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसे पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण का लाभ मिल सके ।

(त) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट के लिए हकदार हैं। उन्हें ऐसे लाभों के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए और ये प्रमाण पत्र आवेदन की नियत तिथि (अंतिम तिथि) से पहले दिनांकित होना चाहिए।

(थ) कृपया ध्यान दें कि जारी की गयी उपरोक्त विज्ञापन पर शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भा.स.ट., हैदराबाद वेबसाइट www.igmhyderabad.spmcil.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

(द) विवाद का समाधान:

यदि अंग्रेजी के अलावा इस विज्ञापन के किसी भी संस्करण के खंडों की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो रोजगार समाचार में प्रकाशित और कंपनी की वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण वैध्य होगा। इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल हैदराबाद/सिकंदराबाद में स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(ध) कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

यदि कोई उम्मीदवार भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी अनियमितता/कदाचार/ कुरीति में लिप्त पाया जाता है तो उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से विवर्जित किया जाएग। परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द करने के अलावा कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा । निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने हेतु भा.स.ट., हैदराबाद उम्मीदवारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान प्राप्त हस्ताक्षर, अंगूठे छाप, लिखावट, फोटोग्राफ आदि के सत्यापन सहित उपयुक्त कार्रवाई किया जाएगा।

(न) जिन उम्मीदवारों के आवेदन रद किए गए हैं उनके नाम परीक्षा के आयोजन से पहले ही वेबसाइट पर अधिसूचित कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान:

(प) दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अनु.जा//अनु.ज.जा/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

(फ) कॉल लेटर में दिए गए स्थानों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ब) परीक्षा केंद्र/स्थल/तिथि/सत्र में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(भ) तथापि, भा.स.ट., हैदराबाद को प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार है।

(म) भा.स.ट., हैदराबाद को उम्मीदवार द्वारा चयनित केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार है।

(य) एक बार परीक्षार्थी द्वारा चुने गये केंद्र का विकल्प अंतिम होगा ।

11.1 आवेदकों को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है:

I. उम्मीदवारों को विज्ञापन ध्यान से पूरा पठना चाहिए।

II. उम्मीदवार को ट्रेड/पोस्ट के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच करनी चाहिए और एक सूचित निर्णय लेना चाहिए।

III. उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के किसी भी कठिनाई के मामले में "ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें" लिंक के तहत "कैसे आवेदन करें" को देखें।

IV. उम्मीदवारों को किसी भी अद्यतन सूचना और संशोधन की जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करना चाहिए। इस विज्ञापन के किसी भी संशोधन केवल कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com की जांच करते रहें।

V. उम्मीदवारों को आवधिक सूचनाओं के लिए वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देनी होती है । इन विवरणों में त्रुटि के परिणामस्वरूप परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना अप्राप्य होगा । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब तक उक्त भर्ती अभियान की सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं तब तक वे अपने हित के लिए वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करें ।

VI. ऑनलाइन परीक्षा 'मल्टीपल चॉइस प्रश्न प्रकार का (एमसीक्यू) है। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा।

VII. **दलालों से सावधान रहें**: किसी भी तरह की पक्षपुष्टी करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बेईमान तत्व का शिकार न हों।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऐसे बेईमान तत्वों को ईमेल आईडी anjinappa.dombara@spmcil.com पर संपर्क कर के वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी के ध्यान में

लाएं ।

VIII. **उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनकी स्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर, घोषणा और बाएं अंगूठे का निशान अपलोड कर दिया गया है और आवेदन पत्र पर भी मुद्रित किया गया है।**

IX. उम्मीदवार को प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए या चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी प्रतिरूपक से मदद नहीं लेनी चाहिए या अन्य उम्मीदवारों, पुस्तकों से कॉपी करने और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और कानूनी कारवाई के साथ भा.स.ट., हैदराबाद /भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. द्वारा भविष्य की परीक्षा में बैठने में डिबारमेंट होगा ।

X. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय उम्मीदवारों की पूरी तलाशी ली जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई मूल्यवान/महंगी वस्तु न लाएं। भा.स.ट., हैदराबाद /भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. उनसे संबंधित किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उम्मीदवार अपने सामान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण की अनुमति नहीं होगी।

XI. **बायोमेट्रिक डेटा - कैप्चरिंग और सत्यापन:** परीक्षा के आयोजन दिन में, केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग की अनुमति देती है तो, बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों की तस्वीर कैप्चर की जाएगी। बायोमेट्रिक डाटा और फोटो का सत्यापन बाद में किया जाएगा। इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। हालांकि किसी भी अवसर पर फोटो लिया जा सकती है।

XII. उम्मीदवार यह ध्यान दें कि भा.स.ट., हैदराबाद /भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. सभी स्थानों पर वीडियोग्राफी/सीसीटीवी के माध्यम से पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा ।

XIII. तथ्यों का कोई भी भौतिक दमन या फर्जी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इस चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

XIV. पात्रता, किसी भी आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति, भाषा, परीक्षा केंद्र आदि से संबंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी जांच/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

XV. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया है। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरी करने के अधीन होगा । यदि ऑनलाइन परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी समय दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जाएगा ।

XVI. परीक्षा सामग्री (रिस्पांस शीट/अटेंडेंस शीट/कोई अन्य रिकॉर्ड/दस्तावेज आदि) के लिए रिकॉर्ड अवधारण अवधि अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद 3 महीने तक होगी । उसके बाद, इस परीक्षा के संबंध में भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा किसी आरटीआई पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन/चरण- 1 परीक्षा के लिए उपस्थित/ शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की श्रेणी-वार या

कुल संख्या प्रस्तुत करना, चरण- II /दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्टेट का विवरण, उत्तर कुंजी / प्रतिक्रिया शीट्स आदी के संबंध में आरटीआई प्रश्नों को इस भर्ती के पूरी चयन प्रक्रिया और अंतिम परिणाम घोषणा होने के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि पूरी भर्ती प्रक्रिया का संचालन को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को आउटसोर्स किया गया है और इसकी नीति के अनुसार उक्त निकाय ग्राहक संगठन को प्रश्न पत्र, नमूना उत्तर पत्र प्रदान नहीं करता है । इस लिए आरटीआई के तहत इस प्रकार की सामग्री प्रदान करने में भा.स.ट, हैदरावाद सक्षम नहीं होंगे।

XVII. सक्षम प्राधिकारी को आकस्मिकता के समय में भागिक या कुल रूप में चयन के किसी भी वैकल्पिक विधिसम्मत तरीके को अपनाने का अधिकार है ।

XVIII. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किसी भी विवरण में बदलाव/संशोधन करने की अपेक्षा पर किसी भी विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण में संशोधन/योग/विलोपन की अस्वीकृति के घटित परिणाम के लिए भा.स.ट, हैदराबाद/एसपीएमसीआईएल उत्तरदायी नहीं होगा ।

XIX. इस विज्ञापन में सूचित रिक्तियां अनंतिम प्रकृति की हैं और भा.स.ट., हैदराबाद /भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. को रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/कम करने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है ।

XX. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि वे आवेदित जगह के इकाई के अलावा भारत में स्थित किसी भी भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की इकाइयों में तैनात/समायोजित होने के लिए उत्तरदायी हैं ।

XXI. **डीओपीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपने ओ.M नंबर 39020/1/016/Estt (B) दिनांक 21.06.2016 के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद भा.स.ट., हैदराबाद अपने पोर्टल/http://igmhyderabad.spmcil.com पर भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के अंक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगा। तथनुसार रोल नंबर-स्कोर के अलावा अंतिम परीक्षा में उम्मीदवारों की रैंकिंग, उम्मीदवार का नाम, माता-पिता/पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष/महिला), अर्हता परीक्षा में कुल अंक और अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ई-मेल सहित पूरा पता वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि उम्मीदवारों के पास आवेदन भरने के समय में सार्वजनिक रूप से अपनी जानकारी का खुलासा के संबन्ध में चयन करने का विकल्प होगा।**

XXII. कंपनी को किसी भी आधार पर विज्ञापन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार है और कंपनी का ऐसा निर्णय केवल कंपनी की वेबसाइट http://igmhyderabad.spmcil.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी सूचना आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी।

11.2 उम्मीदवारी की अस्वीकृति :

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान सूचना और/या प्रक्रिया उल्लंघन करने वाले आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से बाहर किया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चला है लेकिन बाद में पता चलता है, तो पूर्वप्रभाव से अयोग्य किया जाएगा।

उम्मीदवार के आवेदन या उम्मीदवार को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है:

I. अधूरा आवेदन
II. लागू शुल्क नहीं भरा गया है
III. ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय फीस विवरण दर्ज नहीं किया गया है।
IV. ऑन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित योग्यता नहीं है।
V. निश्चित आयू सीमा से अधिक या निम्न या जन्म तिथि नहीं भरा या गलत तरीके से भरा गया है।
VI. दो या अधिक आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
VII. अस्पष्ट फोटो, टोपी के साथ फोटो, गूगल्स पहने हुए, विकृत या अज्ञात फोटो, अस्पष्ट हस्ताक्षर/बाईं अंगूगा निशान के साथ आवेदन किया गया है।
VIII. उम्मीदवार का नाम भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. या किसी अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियों की डिबार सूची में पाया जाता है।
IX. केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। कई आवेदन (यदि पाया गया) प्रस्तुत किये जानेवाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को बिना किसी सूचना के तुरंत अस्वीकार किया जाएगा ।
X. 10 वीं के प्रमाण पत्र/10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर/अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि में बेमेल ।
XI. आवेदित ट्रेड और स्नातक प्रमाण पत्र में अप्रासंगिकता।
XII. कोई अन्य अनियमितता जो भा.स.ट., हैदराबाद द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी अमान्य कर सकती है
XIII. तथ्यों का कोई भी भौतिक दमन या फर्जी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने से इस प्रक्रिया के चयन के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
XIV. उंगलियों पर मेहंदी/टैटू के कारण बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर न होने पर, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
XV. परीक्षा के दौरान उम्मीदवार कदाचार में पाया जाता है तो इस संबंध में इनविजिलेटर का निर्णय अंतिम होगा।

12. चयन प्रक्रिया के बाद:

I. चयनित उम्मीदवारों को भा.स.ट, हैदराबाद में तैनात किया जाएगा और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार किसी भी टकसाल/प्रेस में तैनात किया जाएगा ।
II. नियुक्ति पर उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनकी योग्यता के आधार पर कंपनी द्वारा तय की

जाएगी ।

III. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां कंपनी चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ घोषणा, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, पिछले नियोक्ता और रेफरियों से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति/जनजाति और वर्ग प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) का सत्यापन और कंपनी की पूर्ण संतोषजनक अन्य सभी पूर्व भर्ती औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होंगी । इसके अलावा नियुक्तियां कंपनी के सेवा नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन भी होगी।

IV. नियुक्ति प्रस्तावों को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से चयन समिति द्वारा संस्तुत योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों का पैनल बनाई जाएगी ।

V. एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और वह एक वर्ष तक वैध रहेगी। यदि कोई चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची का संचालन किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची में मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को प्रस्ताव पत्र जारी किया जाएगा।

VI. **बांड का निष्पादन:** एस-1/ए-1 स्तर के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक को आईजीएमएच/एसपीएमसीआईएल या इसकी किसी भी इकाई में कम से कम 3 साल की सेवा के लिए दो लाख रुपये के बांड होगा। ऐसे पर्यवेक्षकों को दो जमानतें देनी होंगी। 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ने की स्थिति में पर्यवेक्षकों द्वारा कंपनी को बांड राशि का भुगतान करके क्षतिपूर्ति करना होगा । यदि वे विफल हो जाते हैं तो जमानतदारों को कंपनी को बांड राशि का क्षतिपूर्ति करना होगा।

VII. **परिवीक्षा:** चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा । परिवीक्षा की अवधि को कंपनी के विवेक पर अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का प्रदर्शन परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

VIII. टिप्पणी: कृपया ध्यान दें कि इस विज्ञापन के संबंध में जारी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट आदि, यदि कोई हो, केवल भा.स.ट, हैदराबाद की वेबसाइट www.igmhyderabad.spmcil.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

नोट: किसी विसंगति या विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.)
कृते मुख्य महाप्रबंधक
भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद